# न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक–5.7.18

मि.न.– 65 / 2018

सरकार बनाम धर्मा
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।
सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डित पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243रकबा 0.26 किस्म जमीन सि0चक गै0मु0रास्ता पर धर्मा पुत्र लच्छाराम जाति गुजर्र निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 50मीटर भूमि पर गोबर रूडी कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।
रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सुचनापरान्त गैर सायल उपस्थित आया । गैरसायल को बार– बार वास्ते जबाब अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया तथा नाही कोई ऐसे साक्ष्य , दस्तावेज पेश किये जिनके आधार पर गैरसायल को राहत दी जा सके । अतः पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट सही साबित होती है इसलिये गैरसायल के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है।
अतः धर्मा पुत्र लच्छाराम जाति गुजर्र निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243 रकबा 0.26 जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0. 005है पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी .20 का पचास गुणा 10 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।
निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय आज दिनाक 5.7.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

2018 019 के रा० लै० 
पृष्ठ संख्या 09 पर 06
10 ... गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली